प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

विविध अपील(प्रतिकर) संख्या **331/2007**

अप्पीलार्थिगण- श्रीमती बिंदा देवांगन और अन्य

बनाम

प्रथ्यर्थिगण - सुरेंद्र कुमार जायसवाल और अन्य

अधिनिर्णय

विचारणार्थ 5-07-2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर

न्यायाधीश

5-07-2011

माननीय श्री राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ

हस्ताक्षर

मुख्य न्यायाधीश

7-07-2011 के लिए सूचीबद्ध करें

हस्ताक्षर

एन-के- अग्रवाल

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

विविध अपील (प्रतिकर) संख्या **331** वर्ष **2007**

अपीलार्थीगण :1 श्रीमती बिंदा देवांगन, बेवा स्वर्गीय श्री झूमक

दावेदार लाल देवांगन की , उम्र लगभग 35 वर्ष।

2 नाबालिग कु. ममता देवांगन, आत्मजा स्वर्गीय श्री झूमक लाल देवांगन , उम्र लगभग 16 वर्ष;

3 नाबालिग कु. रूपबाला देवांगन, आत्मजास्वर्गीय श्री झूमक लाल देवांगन , उम्र लगभग 14 वर्ष;

4 नाबालिग यश कुमार देवांगन,आत्मजा स्वर्गीय श्री झूमक लाल देवांगन , उम्र लगभग 12 वर्ष;

5 नाबालिग कु. श्वेता देवांगन, आत्मजा स्वर्गीय श्री झूमक लाल देवांगन , उम्र लगभग 10 वर्ष;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण संख्या 2 से 5 नाबालिग हैं, द्वारा अपनी प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती बिंदा देवांगन विधवा स्वर्गीय श्री झूमक लाल देवांगन ।

सभी निवासी गांधी मंदिर वार्ड भाटापारा, तहसील और पुलिस थाना भाटापारा, जिला रायपुर(छ.ग.)।

बनाम

प्रथ्यर्थि : 1 सुरेंद्र कुमार जायसवाल, आत्मजा श्री पारसनाथ
जायसवाल, निवासी मो. लाइन भाठा, जेल रोड
कटघोरा, पुलिस थाना और तहसील कटघोरा,
जिला कोरबा (छ.ग.)।
(अपघाती वाहन संख्या सी.जी .10 ए/9117 का चालक)

2 अवतार सिंह आत्मज श्री नछत्तर सिंह, निवासी तेलीपारा बिलासपुर,
तहसील और जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
(अपघाती वाहन संख्या सी.जी .10 ए/9117 का मालिक)

3 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा संभागीय प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कचहरी चौक, जेल रोड मदीना मंजिल रायपुर, तहसील और जिला रायपुर (छ.ग.)
(अपघाती वाहन संख्या सी.जी 10 ए/9117 का बीमाकर्ता)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(मोटर यान अधिनियम की धारा **173** के तहत अपील**)**

(युगलपीठ**:** माननीय श्री राजीव गुप्ता**,** मुख्य न्यायाधीश और
माननीय श्री एन**.**के**.** अग्रवाल**,** न्यायाधीश**)**

उपस्थित : अपीलार्थीगण की ओर से श्री प्रकाश मिश्रा, अधिवक्ता।

प्रथ्यर्थि संख्या 3 की ओर से श्री सुधीर अग्रवाल और

श्री पी. दत्ता, अधिवक्ता।

अधिनिर्णय

(दिनांक **7/07/2011** उद्घोषित**)**

न्यायमूर्ति एन.के. अग्रवाल द्वारा

1- यह दावाकर्ताओं की अपील है जिसमें दावा मामला संख्या 15/06 में अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भाटापारा, जिला रायपुर (संक्षेप में अधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 05.12.2006 के अधिनिर्णय में वृद्धि की मांग की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2- दिनांक 22.12.2005 को, मृतक झूमक लाल देवांगन बॉक्सर मोटरसाइकिल चला रहा था जिसका पंजीकरण नंबर सी.जी-04-सी-2820 था और एक गेंद लाल साहू मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था। जब वे पांडे मेडिकल स्टोर, सिमगा के पास पहुंचे, तो मोटरसाइकिल और ट्रक जिसका पंजीकरण नंबर सी.जी 10 ए-9117 था, के बीच आमने-सामने से टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल चालक यानी झूमकलाल देवांगन की दुर्घटना में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई और पीछे बैठे यात्री गेंदलाल साहू को कई चोटें आईं।

3- अपीलार्थीगनओं यानी मृतक झूमक लाल देवांगन के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा अपघाती ट्रक के चालक/ मालिक और बीमाकर्ता के खिलाफ उसकी मौत के लिए दावा किए गए 12,00,000/- रुपये के मुकाबले,अधिकरण ने कुल 1,46,000/- रुपये की राशि प्रदान की।

4- अधिकरण ने प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की बारीकी से विश्लेषण कर निष्कर्ष दिया: प्रथ्यर्थिगन संख्या 1, यानी ट्रक का चालक और मृतक झूमकलाल। अर्थात मोटरसाइकिल का चालक, दोनों दुर्घटना के कारण के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं और उनके बीच आपस में लापरवाही को 40:60% के अनुपात में बांटा गया है; अपीलार्थीगन की आय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के तहत निर्धारित अनुसूची के अनुसार ₹ 15,000/- प्रति वर्ष आंकी गई; मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए इसमें से 1/3 की कटौती की गई और दावेदारों की वार्षिक आश्रित ₹ 10,000/- आंकी गई, 16 का गुणक लागू किया गया और आश्रित की हानि के किये प्रतिकर की राशि ₹ 1,60,000/- आंकी गई।अधिकरण ने अन्य मदों में ₹ 82,000/- और दिए और इस प्रकार कुल ₹ 2,42,000/- की राशि दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हालांकि,अधिकरणने मृतक मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही के कारण ₹ 1,60,000/- में से 60% की कटौती की, और इस प्रकार दावेदारों के पक्ष में आवेदन की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ कुल ₹ 1,46,000/- की राशि प्रतिकर के रूप में दी गई।

5- श्री प्रकाश मिश्रा, अपीलार्थीगन के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने मृतक की आय ₹ 15,000/- आंकने में और अपीलार्थीगनओं द्वारा दिए गए साक्ष्यों की

अनदेखी करते हुए मृतक को 60% की सीमा तक दुर्घटना करीत करने के लिए जिम्मेदार ठहराने में गलती की है और इस प्रकार कम मात्रा में मुआवजा देने में गलती की है जिसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

6- इसके विपरीत, प्रथ्यर्थिगन संख्या 3/बीमा कंपनी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर अग्रवाल ने आक्षेपित अधिनिर्णय का समर्थन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में,अधिकरण द्वारा प्रदान की दी गई राशि न्यायसंगत और उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7- हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और आक्षेपित किए गए अधिनिर्णय का अवलोकन किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8- यद्यपि, अपीलार्थीगनओं/दावेदारों ने यह तर्क दिया है कि मृतक फर्म मैसर्स इंटरनेशनल साइंटिफिक सर्विस में एक सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था और उसे प्रति माह 5000/- रुपये वेतन मिल रहा था और कृषि से भी प्रति माह 3000/- रुपये की आय थी और इस प्रकार वह प्रति माह 8000/- रुपये कमाता था, लेकिन वे इसके लिए ठोस और निर्णायक दस्तावेजी/ मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे साबित करने में विफल रहे, इसलिए हमें अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई दोष नहीं मिलता है कि अपीलार्थीगन मृतक की आय को साबित करने में विफल रहे जैसा कि उन्होंने अभिवचन किया था। हालांकि,अधिकरण ने वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित 15,000/- रुपये की काल्पनिक आय को मृतक की आय के रूप में ध्यान में रखकर गलती की है।

9- अधिनियम की धारा 163-ए जिसके तहत वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची पेश की गई थी, निम्नानुसार है:

- "163-ए. संरचित फॉर्मूला आधार पर प्रतिकर के भुगतान के संबंध में विशेष प्रावधान. (1) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में, जो उस समय लागू हो या कानून का बल रखने वाले किसी भी उपकरण में किसी भी बात के बावजूद, मोटर वाहन के मालिक या अधिकृत बीमाकर्ता मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी अक्षमता के मामले में, जैसा भी मामला हो, विधिक वारिसों या पीड़ित को, द्वितीय अनुसूची में इंगित अनुसार, मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होंगे। स्पष्टीकरण-इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी अक्षमता" का वही अर्थ और सीमा होगी जो कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।
- (2) उप-धारा (1) के तहत प्रतिकर के किसी भी दावे में, दावेदार को यह तर्क देने या स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु या स्थायी अक्षमता के संबंध में दावा किया गया है, वह संबंधित वाहन या वाहनों के मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी गलत कार्य या उपेक्षा या चूक के कारण हुई थी।
- (3) केंद्र सरकार, जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10- अधिनियम की उपरोक्त उद्धृत उप-धारा (3) में केंद्र सरकार को जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर दूसरी अनुसूची में संशोधन करने का आदेश दिया गया था।

11- चूंकि केंद्र सरकार अधिनियम की उप-धारा (3) में प्रावधान के अनुसार दूसरी अनुसूची में संशोधन करने में विफल रही है, इसलिए न्यायालय/अधिकरण वर्ष 1994 में दूसरी अनुसूची की शुरुआत और दिए गए मामले में दुर्घटना की तारीख के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और जीवन यापन की लागत में वृद्धि का न्यायिक नोटिस ले सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12- अब, वर्तमान मामले पर लौटते हुए, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जिसमें दावेदारों के रोटी-रोजगार कमाने वाले झुमुक लाल देवांगन की जान चली गई, वर्ष 2005 में हुई थी। यदि वर्ष 1994 और 2005 के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और जीवन यापन की लागत में समग्र परिस्थितियों और वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है, तो वर्ष 1994 में दूसरी अनुसूची में निर्धारित ₹15,000/- की सांकेतिक आय वर्ष 2005 में निश्चित रूप से ₹36,000/- हो जाएगी। इसलिए, हम मृतक की आय ₹36,000/- प्रति वर्ष मानकर प्रतिकर की फिर से गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

13- इसमें से मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए सामान्य 1/3 की कटौती के बाद, अपीलार्थीगनओं की वार्षिक आश्रित ₹24,000/- प्रति वर्ष बनती है। दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 38 वर्ष होने को ध्यान में रखते हुए, सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य, जो 2009 (6) एस सीसी 121 में प्रकाशित के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

के आलोक में, जिसमें 38-40 आयु वर्ग के लिए 15 का गुणक निर्धारित किया गया है। हम गुणक 15 लागू करना उचित समझते हैं। दावेदारों की वार्षिक आश्रित को गुणक 15 से गुणा करने पर, प्रतिकर की राशि 3,60,000/- रुपये (24,000 X 15) होगी। दावेदार अन्य मदों में प्रत्येक के लिए 5000/- रुपये, सहचर्या की हानि सम्पदा की हानि 5000और अंतिम संस्कार व्यय 5000 /- के तहत 15,000/- रुपये के और हकदार हैं, और इस प्रकार कुल 3,75,000/- रुपये के प्रतिकर के हकदार हो जाते हैं।

14- अधिकरण ने पाया है कि उक्त दुर्घटना में मृतक झूमक लाल देवांगन की लापरवाही 60% तक थी, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री की सावधानीपूर्वक मूल्यांक करने पर, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगनओं/दावेदारों द्वारा दायर मोका नक्शा (प्रदर्स. ए/3) के अनुसार, मोटरसाइकिल अपनी दाहिनी ओर चल रही थी यानी गलत साइड में और ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच आमने-सामने की टक्कर के कारण उक्त दुर्घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप झूमक लाल देवांगन की मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15- सड़क विनियम, 1989 के नियम 2 के अनुसार, मोटर वाहन का चालक मोटर वाहन को सड़क के बाईं ओर जितना संभव हो सके उतना करीब चलाएगा और विपरीत दिशा से आने वाले सभी यातायात को अपनी दाहिनी ओर से गुजरने देगा।

16- दुर्घटना के समय मृतक झूमक लाल मोटरसाइकिल को गलत दिशा यानी सड़क के दाईं ओर चला रहा था और इस प्रकार यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा था। इस प्रकार, ऐसा

प्रतीत होता है कि मृतक मोटरसाइकिल चलाने में लापरवाह था। यह भी उतना ही सच है कि जब भी कोई ट्रक चालक मुख्य सड़क पर वाहन चलाता है, तो उसे आने वाले व्यक्तियों या वाहनों को भी देखना आवश्यक है। विपरीत दिशा से आ रहे थे। अपघाती ट्रक चालक, जो एक भारी वाहन का चालक था, की जिम्मेदारी अधिक थी। इसलिए, हमारी राय में, मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही को 60% तक मानने वाले न्यायाधिकरणों के निष्कर्ष सही नहीं हैं। मामले के हर पहलू को देखते हुए, मोटरसाइकिल चालक और ट्रक चालक को दुर्घटना के लिए समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और इसलिए यह कहा जा सकता है कि ट्रक चालक के साथ-साथ मृतक मोटरसाइकिल चालक ने भी दुर्घटना के कारण में 50% तक योगदान दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17- मृतक की ओर से 50% अंशदायी लापरवाही की राशि काटने के बाद, दावेदारों को देय प्रतिकर की राशि 1,87,500/- रुपये हो जाती है।अधिकरण द्वारा दी गई राशि यानी 1,46,000/- रुपये काटने के बाद, दावेदारों को देय अतिरिक्त प्रतिकर की राशि 41,500/- रुपये बनती है।

18- दावेदारों को 41,500/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि पर ब्याज की निर्धारित राशि के रूप में 3500/- रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है।

19- उपरोक्त कारणों से, प्रतिकर में वृद्धि के लिए अपीलार्थीगनओं/दावेदारों द्वारा दायर की गई अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।अधिकरण द्वारा दी गई 1,46,000/- रुपये की

प्रतिकर की राशि को बढ़ाकर 1,87,500/- रुपये कर दिया गया है, साथ ही 41,500/- रुपये की बढ़ी हुई राशि पर 3500/- रुपये की अतिरिक्त निर्धारित ब्याज राशि भी दी गई है। अधिनिर्णय में उल्लिखित बाकी शर्तें बरकरार रहेंगी। अधिनिर्णय को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

20- प्रथ्यर्थिगन संख्या 3/ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संबंधित दावाअधिकरण के समक्ष प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जब रहा हे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-
मुख्य न्यायाधीश

हस्ता/-
एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में अधिनिर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु अधिनिर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by – Priti rout